



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नामामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर

पत्रांक: 1961 /W- 17 (Patwadh-forest) /2021-22

दिनांक: 23 जुलाई, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नामामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0) द्वारा पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. 8बी/यू0पी0/08/263/2021/एफ0सी0/210 दिनांक-07.07.2022

2. 106/33/मीरजापुर, दिनांक-जुलाई, 12.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (ई पेमेंट-पोर्टल के माध्यम से जमा कर) रसीद, (ऑन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित हैं-

शर्त सं.	शर्त का विवरण	शर्त का अनुपालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of over equivalent 6.4325 ha. non forest land in Gata No. 28/1M., Sagara Village, Halia Range, District Mirzapur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जनपद-मीरजापुर, तहसील-लालगंज परगना- कंतीत के ग्राम सगरा के आराजी नम्बर-28/1मी0 कुल 6.4325 हे0 गैर वन भूमि जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है जिसकी खतौनी संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में जनपद-मीरजापुर, तहसील-लालगंज, परगना-कंतीत के ग्राम सगरा के आराजी नम्बर-28/1मी0 के अन्तर्गत कुल 6.4325 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रख-रखाव हेतु 4493000 की धनराशि को फॉरेस्ट क्लियरेंस पोर्टल द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से उ0प्र0

		कैम्पा आई0एफ0एस0सी0 नं0-UBIN0996335 खाता सं0-1509053119894099 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं रबीद संलग्न है। (संलग्नक-3एवं4)
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में धारा-4 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु संबंधित मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी कैम्पूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को प्रेषित किया गया है जो प्रभागीय वनाधिकारी कैम्पूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के स्तर से धारा-4 का प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में रू0 44,93000.00 (चौवालिस लाख तिरानबें हजार मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है जिसकी ऑनलाइन प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 6.4325 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में रू0 3,08,04599 / -(तीन करोड़ आठ लाख चार हजार पॉच सौ नित्यानबें मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है जिसकी ऑनलाइन प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-4)
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वधन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)

	Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
8	User agency shall restrict the felling of trees to 55 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में ₹0 1265.00 (एक हजार दो सौ पैसे) का बैंक ड्रप्ट की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-7)
9	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-9)
11	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipeline the ground will be levelled.	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में सीमांकन कर दिया गया है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण की कोई आपत्ति नहीं है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
21	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 6.4325 हे० प्रभागीय वनाधीकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के नाम हस्तांतरित कर दी गयी है। (संलग्नक-02)
22	Clearance or Standing Committee of National Board of Wild Life shall be submitted before the Final approval. No works shall be carried out in Forest land without approval of SCNBWL. Also an undertaking needs to be submitted by User agency that if clearance of SCNBWL is not accorded, their alignment shall be changed to avoid Protected Area.	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
23	The DFO shall certify that no plantation has been done in the proposed CA area in previous years as per FC Act guidelines, 1980.	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के स्तर से किया जाएगा।
24	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त संख्या-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के उल्लंघन न किये जाने सम्बन्धि वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
25	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त संख्या-25 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
26	All the funds received from the user agency under the project shall be	शर्त संख्या-26 के अनुपालन में समस्त धनराशि

	transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से केवल कैम्पा फण्ड में हस्तांतरित/जमा कर दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
27	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त संख्या-27 के अनुपालन में आख्या आपके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ पर अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों की बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय



(अंकुर बाजपेयी)
तकनीकी सलाहकार

प्रतिलिपि: अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जनपद सोनभद्र।



तकनीकी सलाहकार

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0 /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 /07 /2022 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार “वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, 30 प्रो जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

संलग्नक-2



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21208920220719

ग्राम क्रमांक : 212089 ग्राम का नाम / परगना : सगरा(कंतिता) तहसील : लालगंज जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1							
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।							
00460	बंजर //		28/1मि 30/1मि 31/1मि 33/3मि 33/5मि 80/1मि 447 957 1007मि 1099 1370/4मि 1460/3मि 1473/2 1491/1मि 1590/3 23/1534 28/1535 1512/2	13.1650 29.5560 10.5090 16.5550 4.5260 0.9480 0.0630 0.0630 0.5640 0.7710 0.0280 0.5060 0.0130 0.0760 0.1900 0.0380 0.0730 0.1010		वाद सं० विविध सन् 2022 जिलाधिकारी मीरजापुर दि० 22/04/2022 उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शा०सं० 32/744एफ-1-2016-20(5)/ 2016 दि० 03/06/2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता 2016 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एफ-1-2020-20(5)/2016 दि० 60/07/2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै प्रवीण कुमार लक्षकार जिलाधिकारी मीरजापुर संलग्न सूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक गाँव पंचायतो / स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम सगरा तहसील लालगंज मीरजापुर की श्रेणी 5(3)(ड) बंजर की आ०नं० 28/1मि० रकबा 2.2223हे० भूमि को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखा जाता है। ह०र०का० 22/04/2022 वाद सं० विविध सन् 2022 जिलाधिकारी मिर्जापुर 02.06.2022 उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 32/744 /एक -1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55	

भारी कम्प्यूटर /
रो का०-तह०
लालगंज

						द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 687/एक -1-2020-20(5) /2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, मिर्जापुर संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक गाँव पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम सगरा की श्रेणी 5-(3)(ड) बंजर के आ0न0 28/1 मि0 रकबा 6.4325हे0 भूमि को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत वन भूमि के गैर वनिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखा जाता है।ह0र0का0 18.07.2022	
			18	77.7450	₹ 0.00	2	0
कुल गाटे- एक आठ कुल क्षेत्रफल- सात सात दशमलव सात चार पाँच शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये							
Data Digitally Signed by: Brahmdev Dubey						सक्षम अधिकारी: PREETI SHARMA तहसील: लालगंज जनपद: मिर्जापुर दिनांक एवं समय: 19-07-2022 03:58:02 ① यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	
उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।				भारी कम्प्यूटर			

AGENCY COPY यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India संयुक्त आंध्र प्रदेश सहकारी वित्त संस्थान Sahakari Vitta Sanstha, Andhra Pradesh Sahakari Vitta Sanstha	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 20-07-2022	
Agency Name.	STATE WATER AND SANITATION MISSION NAMAMI GANGE AND RURAL WATER SUPPLY DEPARTMENT UP GOVERNMENT
Application No.	53119894099
MoEF/SG File No.	8B/UP/08/263/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	6 Rana Pratap Marg UP Jal Nigam Compound Lucknow
Amount(in Rs)	35297599/-
Amount in Words :Three Crore Fifty-Two Lakh Ninety-Seven Thousand Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509053119894099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

BANK COPY यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India संयुक्त आंध्र प्रदेश सहकारी वित्त संस्थान Sahakari Vitta Sanstha, Andhra Pradesh Sahakari Vitta Sanstha	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 20-07-2022	
Agency Name.	STATE WATER AND SANITATION MISSION NAMAMI GANGE AND RURAL WATER SUPPLY DEPARTMENT UP GOVERNMENT
Application No.	53119894099
MoEF/SG File No.	8B/UP/08/263/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	6 Rana Pratap Marg UP Jal Nigam Compound Lucknow
Amount(in Rs)	35297599/-
Amount in Words :Three Crore Fifty-Two Lakh Ninety-Seven Thousand Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509053119894099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

UTR Inquiry

Message Type
UTR Number

O-Outward

PUNBR52022072514832041

Paysys ID

R-RTGS

Tran Ref No	000297564516
PO Ref No	001715357381
Tran Date	25-07-2022
Service ID	NCP
Service Type	OUTWARD
Tran Type	TRANSFER
Remitter Account	0294000110126176
Remitter Name	JAL JEEVAN MISSION UTTAR PRADE
Remitter IFSC	PUNB0029400
Beneficiary Acct	1509053119894099
Beneficiary Name	UTTAR PRADESH CAMPA
Beneficiary IFSC	UGIN0996335
Tran Amount	35297599.00
Instrument Type	CHO
Instrument Number	765629
Instrument Alpha	WAB

Instrument Date

Charge Amount

Tran ID

Tran Remarks

Tran Particular

Message Status

PO Status

Remittance Remarks 1

Remittance Remarks 2

Remittance Remarks 3

Remittance Remarks 4

Remittance Remarks 5

Remittance Remarks 6

Return UTR

Reject Code / Desc

23-07-2022 00:00:00

47.2

S42726653

001715357381029400

NRTGS/PUNBR52022072514832041/U

PROCESSED

PROCESSED

OK

Apple Keyboard started

Type here to search

acer



हर घर जल
जल जीवन मिशन

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, मल्टी परपज हाल,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक-¹⁴⁸³/W-17 (Patwadh Forest Land)

²⁵ दिनांक: अगस्त, 2022

सेवा में,
अधिकासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
सोनभद्र।

विशय:- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत पाइप लाइन एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 55 वृक्षों के पातन की नेट प्रोजेक्ट वैल्यू NPB के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2425/W-4/164 दिनांक 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र की पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 55 वृक्षों के पातन के दृष्टिगत Uttar Pradesh CAMPA के पक्ष में धनराशि रू0 35297599.00 का भुगतान अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भुगतान UTR No. PUNBR52022072514832041 25-07-2022 निम्न विवरणानुसार RTGS के माध्यम से कर दिया गया है:-

Division Name	Compensatory Afforestation	NPV	Total
Kaimur Wildlife Division, Mirzapur	4493000.00	30804599.00	35297599.00

UTR की छायाप्रति संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जय प्रकाश)
सहायक लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र।


सहायक लेखाधिकारी

01.08.2022

TO WHOM IT MAY CONCERN.

Amount	Rs. 35297599.00
Date	25.07.2022
UTR No	PUNBR52022072514832041
Beneficiary	Uttar Pradesh Campa
Sender	Jal Jeevan Mission U.P

कृते पंजाब नेशनल बैंक
For Punjab National Bank
Chief manager
मुख्य प्रबंधक / Chief Manager
एनएचएम, लखनऊ / Hazratganj, Luck.


21/08/2022
(JAI PRAKASH)
AAO/HR
State Water & Sanitation Mission
Lucknow (U.P.)



हर घर जल
जल जीवन मिशन

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, मल्ली परपज हाल,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक- 1483

/W-17 (Patwadh Forest Land)

25

दिनांक: जुलाई, 2022

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

सोनभद्र।

विशय:- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत पाइप लाइन एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 55 वृक्षों के पातन की नेट प्रोजेक्ट वैल्यू NPB के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2425/W-4/164 दिनांक 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र की पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 55 वृक्षों के पातन के दृष्टिगत Uttar Pradesh CAMPA के पक्ष में धनराशि रू0 35297599.00 का भुगतान अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भुगतान निम्न विवरणानुसार RTGS के माध्यम से कर दिया गया है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	भुगतान का विवरण	
		यूटीडीआर सं0/पीपी0ए0 एवं दिनांक	धनराशि (रू0)
1	पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं	PUNBR52022072514832041 25-07-2022	35297599.00

UTR की छायाप्रति संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जय प्रकाश) 2022

सहायक लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र।

सहायक लेखाधिकारी

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0 /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/ 119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 /07 /2022 के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार “ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिसूचि अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
मो० नम०

६/
(अंकुश दत्त)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटीपीओ/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं० – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 /07 /2022 के बिन्दु संख्या-9 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति तक प्रस्तावित 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन नहीं किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेश्वरी सिंह)
अधिसूचि अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र


(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

FORM-II

Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector Sonbhadra

No. 136/अ.जि.न.मा.सि.गं.गं/2022-23

Date: १७.०७-२०२२

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In Compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014 and forest (Conservation) Amendment Rules 2016] It is certified that 6.4325 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of State Water and Sanitation Mission, Lucknow for Construction of INTAKE WELL, WTP and RAW Water Pipe Line under **Patwadh Group Of Villages Water Supply Scheme**, the Area falls within the jurisdiction in **Village-Kanach, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra**, It is further certified that.

- a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for entire **6.4325 hectares of forest land** proposed for diversion, A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Sub Division level committee(s) and the District level Committee are enclosed as Gram Panchayat/Sabha to sub division level committee.
- b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, vernacular local language) have been placed before concerned **Gram Panchayat/Sabha Kanach to Sub division level committee Tehsil Obra** District Sonbhadra.
- c) The concerned **Gram Panchayat/Sabha Kanach** has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any having understood the propose and details of proposed diversion copies of certificate issued by the Gram Sabha of Kanach Village of is enclosed as attachment.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Panchayat/Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Panchayat/Sabha Kanach have given their consent to it.
- f) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3(1) of the FRA, 2006

Encl: As above


District Magistrate
Sonbhadra

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 26.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा अराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को एवं उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा दिनांक- 25.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दोनों समितियों द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा अराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी अधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर

जिलाधिकारी
सोनभद्र

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में
उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।



सदस्य

सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।



सदस्य

क्षेत्रीय वानिकी अधिकारी
कैमूर वन्य जीव विभाग
गुर्माई रैंज-सोनभद्र



सदस्य

उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4 ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4 ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4 ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4 ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सदस्य

सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।


सदस्य
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य-जीव विभाग
गुर्मा-रैन्ज सोनभद्र


25.7.2022
अध्यक्ष

उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में
उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा अराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकि प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा अराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सदस्य

सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सदस्य
क्षेत्रीय वन्य जीव बिहार
मृत्ति रेंज सोनभद्र
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा- रेंज सोनभद्र


अध्यक्ष
उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में

उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सदस्य

सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।


सदस्य
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा- रेंज सोनभद्र


75.7.22
अध्यक्ष

उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

रूप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

[illegible]

नोट : प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रूप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

नोट : प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0 /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पाईप लाईन को 1.5 मी0 नीचे बिछाया जाएगा और पाईप लाईन डालने के बाद जमीन को समतल किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।

(**महेन्द्र सिंह**)
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र


(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

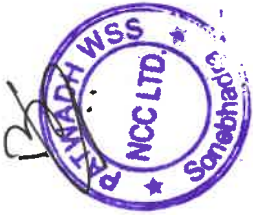
विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटीपीओ /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं० – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 /07 /2022 के बिन्दु संख्या-13 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।

(महेश्वरी सिंह)
अधिसूचि अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07/07/2022 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेंद्र सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0 /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-15 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण के दौरान कार्यारत श्रमिकों हतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाएगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।




(महेन्द्र सिंह)
अधिसाती अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र


(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटीपीओ/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं० – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07/07/2022 के बिन्दु संख्या-17 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



July
(महेन्द्र सिंह)
अधिसूची अचियन्ता
खण्ड कार्यालय, 30 प्र० क्ल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजमेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यू0टी0पी0 /इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 /07 /2022 के बिन्दु संख्या-19 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिसूचि अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07/07/2022 के बिन्दु संख्या-20 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिती में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जायेगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटीपी0/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के विन्दु संख्या-22 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य अरम्भ नहीं की जायेगी तथा संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति/स्वीकृति न मिलने पर WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल के संरक्षण को बदल कर गैर संरक्षित क्षेत्र में किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधियासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:— जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यू0टी0पी0 /इंटेकवेल व रैं वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबन्धी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – **8B/UP/08/263/2021/FC/210** दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-24 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशानिर्देश एफ0सं0 11-42/ 2017-एफ0सी0 / 1071 दिनांक-29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

(हस्ताक्षर)
(महेन्द्र सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
खण्ड कार्यलय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटीपीओ/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग में निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं० – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-25 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधियासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, ऊ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन